29-5-18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान केम्प ग्राम फुलेरा पर प्रस्तुत हुयी। वादी के वकील उप० प्रतिवादी न० 1 व 2 उपस्थित। उभयपक्ष को सुना गया। प्रतिवादीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी से हमारा कोई सम्बन्ध है। वादग्रस्त आराजी का इन्द्राजात भी वादी के नाम ही बना है। वादी के हक की आराजी में हम किसी प्रकार से दखल नही कर रहे है। वादी वकील ने कहा कि हमारा वाद डिक्री कर दिया जावे। प्रतिवादीगण को वाद

[signature]

कारोबर

प्रपत्र –5
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत फुलेता

उनवान

प्रभू पुत्र भूरा जाति रेगर निवासी ग्राम फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादी

बनाम

1.रामफूल पुत्र भूरा जाति रेगर निवासी ग्राम फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
2.कमलेश पुत्र रामफूल जाति रेगर निवासी ग्राम फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
3.मांगी पत्नी रामफुल जाति रेगर निवासी ग्राम फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
4.काली पत्नी भूरा जाति रेगर निवासी ग्राम फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर– 98 वर्ष 2012

वादी की ओर से श्री एम0 एल0 खान वकील प्रतिवादी की और से रामफू लकी उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 29.5.2015 को श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिये जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 1897/2735 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम फुलेता तहसील उनियारा मे किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे। फरिकेन खर्च अपना-अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 5 सन् 2015 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner

जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को हमेशा के लिये जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के स्वामित्व व कब्जे बाबत की आराजी खसरा न० 1897/2735 रकबा 0-50 है० वाके मौजा फुलेरा तहसील उनियारा में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें। खर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो

Scanned by CamScanner